

(01)

कार्यालय — नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

सार्वजनिक सूचना

बाह्य न्यायालय महरौनी परिसर में केंटीन (चाय, नमकीन, मीठा, चाट, फल जूस व शीतल पेय पदार्थ) हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष माह सितम्बर 2023 से 31 मार्च 2024 तक (कुल 07 माह) के लिये दिनांक 31.08.2023 को सायंकाल 04:30 बजे मेरे सभागार कक्ष में आयोजित की गई । जिसमें अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त सर्वश्री श्री बाबर खान सदस्य नीलामी समिति एवं मेराज अहमद सदस्य नीलामी समिति उपस्थित आये । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बाह्य न्यायालय, महरौनी जनपद ललितपुर केंटीन की नीलामी दिनांक 05.09.2023 को समय अपराह्न 04:30 बजे 05:30 बजे तक सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देख-रेख में नीलामी सम्पन्न की जायेगी ।

नीलामी हेतु आवश्यक सूचना निम्नवत हैः-

01. प्रश्नगत केंटीन की नीलामी हेतु शासकीय बोली रु० ७०००/- निर्धारित की जाती है।
02. नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी । यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी । जिस व्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी ।
03. उन बोली दाताओं को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जायेगा, जिन पर ठेको की वावत पिछले वित्तीय वर्षों का कोई बकाया शेष हो ।
04. बोली स्वीकृत होने पर केंटीन के ठेके की सुरक्षा धनराशि रु० 5,000/- तथा नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि 50% राशि नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त तथा अवशेष धनराशि दो समान किंतौं में दिसम्बर 2023 व 15 मार्च 2024 तक जमा करानी होगी । उपरोक्तानुसार धनराशि न जमा कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी ।
05. प्रत्येक बोली दाता निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगा ।
06. नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा ।
07. नीलामी की प्रक्रिया को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा ।
08. नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित ठेके के वाबत अनुबन्ध अंकन 100 रु० के स्टाम्प पर नियमानुसार निष्पादित करा कर दाखिल करना होगा । स्टाम्प नीलाम क्रेता को स्वयं क्रय कर प्रस्तुत करना होगा ।
09. ठेकेदार को बाह्य न्यायालय महरौनी परिसर भवन में स्थित केंटीन में ठेकेदार द्वारा अपना अस्थाई प्रबन्ध कर निर्धारित कार्य करेंगे ।
10. जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात व बोली स्वीकार करने के पश्चात नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं करेंगे तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।
11. यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम बोली लगाने वाला प्रत्येक दशा में स्वीकार किया जाये ।
12. प्रत्येक बोली दाता को बोलते समय अपना पहचान पत्र / आधार कार्ड, एक फोटो तथा मोबाइल नम्बर जमा करना होगा ।
13. ठेका बाह्य न्यायालय परिसर महरौनी भवन में केंटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष माह सितम्बर 2023 से 31 मार्च 2024 तक (कुल 07 माह) तक की अवधि के लिये दिया जायेगा ।
14. नीलामी की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, ललितपुर को होगा

(02)

15. कैंटीन हेतु विद्युत संयोजन स्वयं के व्यय पर लेना होगा । विद्युत संयोजन लेने व नीलामी स्वीकार होने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा विद्युत की रसीद / कनेक्शन संख्या कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दाखिल करनी होगी । प्रतिष्ठान पर बिना वैध कनेक्शन के विद्युत संयोजन पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।
16. प्रत्येक बोलीदाता / ठेकेदार को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं ।
17. नीलामी पुष्ट हो जाने के पश्चात शर्तों के अनुसार ठेका कैंटीन तुरन्त चालू करनी होगी । धरोहर राशि का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :-

क्रमांक	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	कैंटीन संचालित करने का स्थान
01.	कैंटीन बाह्य न्यायालय, महरौनी	रु० 5,000/-	बाह्य न्यायालय, महरौनी कैंटीन भवन में

Wabel
31/8/23

(भेराज अहमद),
सदस्य नीलामी समिति,
मुख्य न्यायिक नियंत्रण स्ट्रेट,
जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

Baww
31/8/23

(मो० बाबर खान),
सदस्य नीलामी समिति,
अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (S.C. / S.T.),
जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

Syamul
31/8/23

(शबिस्ताँ आकिल),
अध्यक्ष नीलामी समिति,
अपर जिला जज (र०प्र०के),
जनपद न्यायालय, ललितपुर ।